Draft: SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (Recognition of Forest Rights) Amendments Rules 2012: NEW

No. 23011/32/2010-FRA [Vol.II]
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
Shastri Bhawan, New Delhi
Dated : 20th July, 2012

Sub: Inviting objections and suggestions on the draft Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012.

****

The Ministry of Tribal Affairs is the nodal agency for implementing the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, which seeks to recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded. The Act was notified for operation with effect from 31.12.2007 (**Annexure-I**). The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008 for implementing the provisions of the Act were also notified on 1.1.2008 **(Annexure-II)** .

2. The Ministry has observed that even after lapse of more than 4 years of the implementation of the Act, the flow of intended benefits of this welfare legislation to the eligible forest dwellers has remained constrained and several problems were impeding the implementation of the Act in its letter and spirit. The Ministry had accordingly undertaken an exercise to arrive at certain provisions/ steps for facilitating a robust implementation of the Act. The Ministry has already issued certain guidelines in this regard on 12.7.2012, for compliance by the State Governments/ UT Administrations a copy of which is available on the Ministry's website (www.tribal.nic.in)

3. The Ministry is also proposing to make some amendments in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008 to (i) lay down a procedure for identification or hamlets or settlements and process of consolidation of their lists, (ii) increase the mandatory tribal membership of Forest Rights Committees from the present one-thirds to two-thirds, (iii) reduce the present requirement of quorum of two-thirds in the gram sabha meetings to one-half, (iv) clarify that the term 'sustenance' includes fulfilment of livelihood needs of self and family, including the sale of any produce, (v) allow transportation of minor forest

produce within and outside forest area through 'locally appropriate means of transport for use of such produce or sale by forest rights holders or their cooperatives/federations for livelihood, (vi) lay down process for recognition of rights, including community rights, (vii) insert new Claim Forms for Rights to Community Forest Resource and Title Form for Community Forest Resources etc. A copy of the draft Rules titled "**The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012**, have been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II - Section 3 - Sub-section (i), dated 19.7.2012 in this regard (copy at **Annexure-III**

4. Any objections and suggestion in connection with the said draft "The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012" may be forwarded at the following address, either through e-mail or by Post, by **19th August, 2012,** positively for consideration by the Central Government:

Under Secretary (FRA),
Room No.416, B-Wing,
4th Floor, Shastri Bhawan,
New Delhi-110001
E-mail address: **asit.gopal (at) nic.in**
asit. kumat (at) nic.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934
No. 369] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 578(अ).— अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्ररूप, जिसे केंद्रीय सरकार अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन बनाए जाने का प्रस्ताव करती है और उक्त उपधारा के अधीन यथापेक्षित उसे उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनके प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है ;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में, कोई आक्षेप और सुझाव केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए अवर सचिव (वअअ) जनजातीय कार्य मंत्रालय, कमरा सं0 416-बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेजे जा सकेंगे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : --

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) (संशोधन) नियम, 2012 हैं ।

(i) ये उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ख) "जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग के माध्यम से स्वयं और कुटुंब की जीविका की आवश्यकताओं को पूरा करना अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अधिकारों के प्रयोग से उद्भूत अधिशेष उत्पाद का विक्रय सम्मिलित है";

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(घ) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन "गौड़ वन उत्पाद के निपटान" में विक्रय के अधिकार के साथ व्यष्टिक या सामूहिक प्रसंस्करण, मूल्य परिवर्धन, ऐसे उत्पाद के उपयोग के लिए परिवहन के स्थानीय समुचित साधनों के माध्यम से वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन या जीविका के लिए जनसमूह या उनकी सहकारिताओं, संगमों या फेडरेशनों द्वारा विक्रय सम्मिलित होगा" ।

3. उक्त नियमों के नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2क. लघु ग्रामों या व्यवस्थापन की पहचान और उनके समेकन की प्रक्रिया-

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,-

(क) प्रत्येक पंचायत उसकी सीमाओं के भीतर लघु ग्रामों के समूह या आवास, गैर अलेखबद्ध या सर्वेक्षण नहीं किए गए व्यवस्थापन या वन ग्राम या जंगल स्थित ग्राम और वे वन ग्रामों की सीमाएं जो औपचारिक रूप से किसी राजस्व या वन ग्राम अभिलेख का भाग नहीं है की सूची तैयार करती है और पंचायत के संकल्प के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्रामों के रूप में सम्मिलित प्रत्येक ऐसे आवास, लघु ग्राम या आवासों की संयोजित ग्राम सभा द्वारा इस सूची को पारित कराएगी ;

(ख) उपखंड अधिकारी उन लघु ग्रामों और आवासों की सूचियों को समेकित करते हैं जो वर्तमान में किसी ग्राम के भाग नहीं हैं किन्तु किसी संकल्प के माध्यम से पंचायत के भीतर ग्रामों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, और या तो विद्यमान ग्राम में ग्राम के रूप में जोड़कर या अन्यथा सुसंगत राज्य विधियों में यथाउपबंधित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् ग्राम के रूप में औपचारितक रूप दे दिया गया है और जनता की टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी सूचियों को अंतिम रूप दिया गया है, यदि कोई है ;

(ग) लघु ग्रामों और आवासों की सूचियों को अंतिम रूप देने पर इन लघु ग्रामों और आवासों में मान्यता और अधिकारों के निहित होने की प्रक्रिया पहले से मान्यताप्राप्त किन्हीं अधिकारों में व्यवधान डाले बिना की जाती है ।

4. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) में,-

"(i) "कम से कम एक-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे" शब्दों के स्थान पर, "कम से कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 के प्रवर्तन होने की तारीख से पूर्व, पहले से आरंभ किए गए दावों के सत्यापन की प्रक्रिया या मान्यताप्राप्त वन अधिकार किसी प्रारंभ की गई ऐसी प्रक्रिया या मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।"।

5. "(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के आधे से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी :

परंतु उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई स्त्रियां होंगी :

परंतु यह और कि जहां वन अधिकारों के दावों की बाबत कोई संकल्प पारित किया जाना है, दावेदारों के आश्रितों समेत दावेदारों के कम से कम पचास प्रतिशत उपस्थित होंगे ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों उपाबंध-1 (प्ररूप क, ख और ग) में यथाउपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी"।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में,

(i) खंड (छ) में " और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ज) में "और" शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(झ) यह सुनिश्चित करना कि इन नियमों के उपाबंध-4 में यथाविनिर्दिष्ट, अधिनियम के अधीन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और हक के अभिलेख की एक प्रमाणित प्रति संबंधित ग्राम सभा या समुदाय को प्रदान की जाए"।

8. उक्त नियमों के नियम 10 में,-

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा :--

"(ग)" तीन मास में कम से कम एक बार वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहित करने की प्रक्रिया को मानिटर करने के लिए बैठक करेगी, क्षेत्र स्तर समस्याओं पर विचार और उनका समाधान करेगी, और दावों की प्रास्थिति के संबंध में उनके निर्धारण पर केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट देगी, अधिनियम के अधीन अपेक्षित कदमों का अनुपालन करेगी, अनुमोदित दावों के ब्यौरे, खारिज करने के कारण, यदि कोई हों और लंबित दावों की प्रास्थिति और उपर्युक्त जानकारी का संकलन सुनिश्चित करेगी तथा वन अधिकार अधिनियम पर केन्द्रीय सरकार की वेबसाइट पर उन्हें डालेगी,"।

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन मानिटर करेगी, जो यथावत् पुर्नवास के अधिकार को मान्यता देते हैं जिसमें उन मामलों में

जहां जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी पुर्नवास के उनके वैधानिक हक को प्राप्त किए बगैर किसी वर्णन की वन भूमि से अवैध रूप से निष्कासित व विस्थापित कर दिए गए हैं, और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों को भी मानिटर करेगी जो उनके उस भूमि पर अधिकार को मान्यता देते हैं जो पांच वर्ष की अवधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उस भूमि को अर्जित किया गया था, ऐसी भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि क्षतिपूर्ति के बिना उनके आवास और कृषि भूमि से विस्थापित किए गए हैं ।"

9. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (4) में "प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों और प्ररूप ग में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"12क अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया-(1) वनाधिकार समिति से सूचना की प्राप्ति पर वन और राजस्व विभागों के पदधारी स्थल पर दावों के सत्यापन और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान उपस्थित रहेंगे ।

(2) ग्राम सभा या उपखंड स्तर समिति द्वारा दावे के उपांतरण या उसे खारिज करने की दशा में, दावे पर विनिश्चय दावेदार को, यथास्थिति, उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति के समक्ष साठ दिन की अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को याचिका दाखिल करने में समर्थ बनाने के लिए, संसूचित किया जाएगा और व्यथित व्यक्ति की ऐसी कोई याचिका उसके दावे के समर्थन में किसी वस्तु को उपस्थित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना निपटाई नहीं जाएगी ।

(3) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति, यदि आवश्यक समझे, तो ग्राम सभा के संकल्प या सिफारिश के अपूर्ण पाए जाने या प्रथम दृष्टया अतिरिक्त परीक्षण की अपेक्षा होने की दशा में उसे उपांतरित या खारिज करने की बजाए पुनर्विचार करने के लिए ग्राम सभा को दावे को प्रतिप्रेषित करेगी ।

(4) उन दशाओं में, जहां ग्राम सभा द्वारा किसी दावे की सिफारिश करने संबंधी पारित संकल्प को उप खंड स्तर की समिति द्वारा मान्य ठहराया जाता है किन्तु उसका जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो जिला स्तर समिति ग्राम सभा तथा उपखंड स्तर समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने के ब्यौरेवार कारण लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करेगी और जिला स्तर समिति के आदेश की प्रति उसके कारणों सहित, दावाकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(5) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन मान्यता प्राप्त खेती करने के लिए भूमि संबंधी अधिकार विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर होंगे जिसके अंतर्गत खेती करने के लिए आनुषंगिक सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए जैसे पशु रखने, पछोने और अन्य फसल कटाई के बाद के क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त वन भूमि भी है ।

(6) नियमों के उपाबंध 2, 3 और 4 में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारों के स्थिरीकरण और हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने पर, राजस्व और वन विभाग इस प्रकार निहित वन भूमि का अंतिम रूप से नक्शा तैयार करेंगे और संबद्ध प्राधिकारी इस प्रकार निहित वनाधिकारों को यथास्थिति राजस्व और वन विभागों के अभिलेखों में सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिलेख अद्यतन किए जाने की अवधि के भीतर समाविष्ट करेंगे ।

(7) उपखंड स्तर समिति और जिला स्तर समिति के सभी विनिश्चय, जिनमें ग्राम सभा संकल्प या सिफारिश का उपांतरण या नामंजूर किया जाना अंतवर्लित है, सकारण आदेश के रूप में होंगे ।

(8) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति ऐसे किसी दावे को, जिसके साथ नियम 13 में विनिर्दिष्ट कोई दो प्रकार के साक्ष्य लगे हों और जिसकी ग्राम सभा द्वारा सिफारिश की गई हो, लिखित में कारण बताते हुए नामंजूर नहीं करेगी और किसी दावे को विचार में लिए जाने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के साक्ष्य पर बल नहीं देगी ।

(9) शासकीय कार्य के दौरान उद्भूत जुर्माने की रसीदें, अधिक्रमणकर्ता सूची, मुख्य अपराध रिपोर्टे, वन व्यवस्थापन रिपोर्टे और वैसे ही दस्तावेज अथवा उनका न होना किसी दावे को नामंजूर किए जाने का एकमात्र आधार नहीं होगा ।

12ख. सामुदायिक अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया-- जिला स्तर समिति--

(क) वनवासियों के बीच विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह की अंतरीय भेधता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि सभी विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह (पीटीजी) संबंधित पारंपरिक संस्थाओं के विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह (पीटीजी) के परामर्श से आवास अधिकार प्राप्त करते हैं और आवास अधिकारों के संबंध में उनके दावे, संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष, जहां कहीं उनकी ग्राम सभा की प्लवमान प्रकृति को मान्यता देकर आवश्यक हो, फाइल किए जाते हैं ।

(ख) संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष चरागाहियों द्वारा दावों को फाइल किए जाने को सुकर बनाएगी ।

11. उक्त नियमों के उपाबंध 1 में प्ररुप ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप-ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररुप

[अधिनियम की धारा 3(1)(i) और नियम 11(1) और (4क) देखिए]

1. ग्राम/ग्राम सभा :
2. ग्राम पंचायत :

3. तहसील/तालुक :

4. जिला :

5. ग्राम सभा के सदस्यों का नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित एसटी/ओटीएफडी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए कुछ जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है ।

हम, इस ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं ।

(अवस्थिति ग्राम की पारंपरिक या रुढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिह्न या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित या परिरक्षित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें । कृपया ध्यान दे कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :

7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

(i)

(ii)

(iii)

(इसमें किसी अन्य ग्राम के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)

दावेदार(दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान :

12. उक्त नियमों में उपाबंध 3 के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध-4

सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक

[नियम 8(i) देखिए]

1. ग्राम/ग्राम सभा :

2. ग्राम पंचायत :

3. तहसील/तालुक :

4. जिला :

5. अनुसूचित जाति/अन्य पारंपरिक वनवासी : अनुसूचित जनजाति समुदाय/ओटीएफडी समुदाय/ दोनों :

6. अधिकार का वर्णन और प्रकृति, जिसका समुदाय पारंपरिक रूप से संरक्षण या परिरक्षण करता रहा है :

7. सीमाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं. तक रुढ़िजन्य सीमा भी है:

उक्त क्षेत्र के भीतर इस समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनरुज्जीवित करने या परिक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह (नामोद्दिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3(1)(i) के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण और परिरक्षण करते रहे हैं ।

हम, अद्योहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्राम सभा (ग्राम सभाओं)/समुदाय (समुदायों) के लिए हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोद्दिष्ट और विनिर्दिष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

(प्रभागीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक) (जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी)

(जिला कलक्टर/उपायुक्त)"

[फा. सं. 23011/32/2010-एफआरए (जिल्द 2)]

डॉ. साधना राउत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1(अ) तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

G.S.R. 578(E).— WHEREAS a draft of certain rules to amend the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008 under sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) are proposed to be made by the Central Government and as required under the said sub-section, the same is published for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

Any objections and suggestions in connection with the said draft rules may be forwarded to Under Secretary (FRA), Ministry of Tribal Affairs, Room No. 416-B Wing, Shastri Bhawan, New Delhi for consideration by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008,namely:-

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012.

   (i) They shall come into force on the date of their final publication.

2. In the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in sub- rule (1) of rule 2, -

   (i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

   '(b) "bona fide livelihood needs" means fulfilment of livelihood needs of self and family through exercise of the rights specified in sub-section (1) of section 3 of the Act and includes sale of surplus produce arising out of exercise of such rights;' ;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :-

'(d) "disposal of minor forest produce" under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall include right to sell as well as individual or collective processing, value addition, transportation within and outside forest area through locally appropriate means of transport for use of such produce or sale by gatherers or their cooperatives or associations or federations for livelihood;'.

3. In the said rules, after rule 2, the following rule shall be inserted, namely:-

"2A . **Identification of hamlets or settlements and process of their consolidation -** The State Government shall ensure that, -

(a) every panchayat, within its boundaries, prepares a list of group of hamlets or habitations, unrecorded or unsurveyed settlements or forest villages or taungya villages, and forest fringe villages formally not part of any Revenue or Forest village record and have this list passed by convening Gram Sabha of each such habitation, hamlets or habitations included as villages for the purpose of the Act through a resolution in the Panchayat;

(b) the Sub-Divisional Officers consolidate the lists of hamlets and habitations which at present are not part of any village but have been included as villages within the Panchayat through a resolution, and are formalised as a village either by adding to the existing village or otherwise after following the process as provided in the relevant State laws and that the lists are finalised after considering public comments, if any;

(c) on finalisation of the lists of hamlets and habitations, the process of recognition and vesting of rights in these hamlets and habitations is undertaken without disturbing any rights, already recognised;

4. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (1),-

" (i) for the words "at least one-third members shall be the Scheduled Tribes", the words "at least two-third members shall be the Scheduled Tribes" shall be substituted;

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided also that the process of verification of the claims already initiated

or the forest rights recognised before the date of coming into force of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendments Rules, 2012 shall not affect any such process initiated or forest rights recognised".

5. In the said rules, in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The quorum of the Gram Sabha meeting shall be not less than one half of all members of such Gram Sabha :

Provided that at least one-third of the members present shall be women:

Provided further that where any resolutions in respect of claims to forest rights are to be passed, at least fifty per cent of the claimants to forest rights including the dependent of the claimants shall be present."

6. In the said rules, in rule 6, for clause (l), the following clause shall be substituted, namely:-

"(l) ensure easy and free availability of proforma of claims to the claimants as provided in Annexure-I (Forms A, B and C) of these rules;".

7. In the said rules, in rule 8,

(i) in clause (g), the word "and" shall be omitted;

(ii) in clause (h), at the end the word "and" shall be inserted;

(iii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

"(i) ensure that a certified copy of the record of community forest resource rights and title under the Act, as specified in Annexure IV to these rules, is provided to the concerned Gram Sabha or the community." .

8. In the said rules, in rule 10, -

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) meet at least once in three months to monitor the process of recognition, verification and vesting of forest rights, consider and address the field level problems, and furnish a quarterly report to the Central Government on their assessment regarding the

status of claims, the compliance with the steps required under the Act, details of claims approved, reasons for rejection, if any and the status of pending claims and shall ensure compilation of the above information and place the same on the website of the Central Government on Forest Rights Act;";

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) monitor compliance of the provisions contained in clause(m) of sub-section(1) of section 3 of the Act, which recognise the right to in situ rehabilitation including alternative land in cases where the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers have been illegally evicted or displaced from forest land of any description without receiving their legal entitlement to rehabilitation prior to the 13th day of December, 2005, and also of the provisions contained in sub-section(8) of section 4 of the Act, which recognises their right to land when they are displaced from their dwelling and cultivation without land compensation due to State development interventions where such land has not been used for the purpose for which it was acquired within a period of five years."

9. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (4), for the words and letter "community forest rights in Form B" the words "community forest rights in Form B and the community forest resource rights in Form C" shall be substituted.

10. In the said rules, after rule 12, the following rules shall be inserted, namely:-

"12 A . **Process of recognition of rights.-** (1) On receipt of intimation from the Forest Rights Committee, the officials of the Forest and Revenue Departments shall remain present during the verification of the claims and the verification of evidences on the site.

(2) In the event of modification or rejection of a claim by the Gram Sabha or by the Sub-Divisional Level Committee, the decision on the claim shall be communicated to the claimant to enable the aggrieved person to prefer a petition to the Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee as the case may be, within a period of sixty days and no such petition of the aggrieved person shall be disposed of, unless he has been given a reasonable opportunity to present anything in support of his claim.

(3) The Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee shall, if consider necessary, remand the claim to the Gram Sabha for reconsideration instead of modifying or rejecting the same, in case the resolution or the recommendation of the Gram Sabha is found to be incomplete or prima-facie requires additional examination.

(4) In cases where the resolution passed by the Gram Sabha, recommending a claim, is upheld by the Sub Divisional Level Committee, but the same is not approved by the District Level Committee, the District level Committee shall record detailed reasons for not accepting the recommendations of the Gram Sabha and the Sub Divisional Level Committee, in writing, and a copy of the order of the District level Committee along with the reasons shall be made available to the claimant.

(5) Land rights for self-cultivation recognised under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall be, within the specified limit, including the forest lands used for allied activities ancillary to cultivation, such as, for keeping cattle, for winnowing and other post-harvest activities.

(6) On completion of the process of settlement of rights and issue of titles as specified in Annexures II, III & IV of these Rules, the Revenue and the Forest Departments shall prepare a final map of the forest land so vested and the concerned authorities shall incorporate the forest rights so vested in the revenue and forest records, as the case may be, within the specified period of record updation under the relevant State laws.

(7) All decisions of the Sub-Divisional Level Committee and District Level Committee that involve modification or rejection of a Gram Sabha resolution or recommendation shall be in the form of speaking orders.

(8) The Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee shall not reject any claim accompanied by any two forms of evidences, specified in rule 13, and recommended by the Gram Sabha, without giving detailed reasons in writing and shall not insist upon any particular form of evidence for consideration of a claim:

(9) Fine receipts, encroacher lists, primary offence reports, forest settlement reports, and similar documentation arisen during prior official exercises, or the lack thereof, shall not be the sole basis for rejection of any claim.

"12 B. Process of Recognition of Community Rights.- The District Level Committee shall, -

(a) in view of the differential vulnerability of Particularly Vulnerable Tribal Groups amongst the forest dwellers, ensure that all Particularly Vulnerable Tribal Groups receive habitat rights, in consultation with the concerned traditional institutions of Particularly Vulnerable Tribal Groups and their claims for habitat rights are filed before the concerned Gram Sabhas, wherever necessary by recognising floating nature of their Gram Sabhas.

(b) facilitate the filing of claims by pastoralists before the concerned Gram Sabhas.

11. In the said rules, in Annexure-I, after Form B, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM – C

CLAIM FORM FOR RIGHTS TO COMMUNITY FOREST RESOURCE

[See section 3(1)(i) of the Act and rule 11(1) and (4A)]

1.Village/Gram Sabha:
2. Gram Panchayat:
3. Tehsil/ Taluka:
4. District:
5. Name(s) of members of the gram sabha [Attach as separate sheet, with status of ScheduledTribes/Other Traditional Forest Dwellers indicated next to each member].

Presence of few Scheduled Tribes/ Other Traditional Forest Dwellers is sufficient to make the claim.

We, the undersigned residents of this Gram Sabha hereby resolve that the area detailed below and in the attached map comprises our Community Forest Resource over which we are claiming recognition of our rights.

[Attach a map of the community forest resource, showing location, landmarks within the traditional or customary boundaries of the village or seasonal use of landscape in the case of pastoral communities to which the community had traditional access and which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use. Please note that this need

not correspond to official boundaries.)

6. Khasra / Compartment No.(s), if any and if known:

7. Bordering Villages:

(i)

(ii)

(iii)

(This may also include information regarding sharing of resources and responsibilities with any other villages.)

8. List of Evidence in Support (Please see Rule 13)

Signature / Thumb impression of the Claimant(s):

12. In the said rules, after Annexure-III, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"Annexure-IV

TITLE TO COMMUNITY FOREST RESOURCES

[See rule 8(i)]

1. Village/Gram Sabha:
2. Gram Panchayat:
3. Tehsil/ Taluka:
4. District:
5. Scheduled Tribe / Other Traditional Forest Dweller: Scheduled Tribes community / Other Traditional Forest Dwellers community / Both
6. Description and nature of right , which community has been traditionally protecting or conserving
7. Description of boundaries including customary boundary, by prominent landmarks, and by khasra / compartment No:

Within the said area, this community has the right to protect, regenerate or conserve or manage, and this (to be named) community forest resources which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable used as per section 3(1)(i) of the Act.

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government affix our signatures to confirm the community forest resource (to be named and specified in extent, quantum, area, whichever is applicable) as mentioned in the Title to the above mentioned gram sabha/community(ies).
(Divisional Forest Officer/ Deputy Conservator of Forests) (District Tribal Welfare Officer)
(District Collector/ Deputy Commissioner)"

[F. No. 23011/32/2010-FRA (Vol. II)]
Dr. SADHANA ROUT, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.